



कार्यालय, जिला पंचायत—सरगुजा, छत्तीसगढ़

(जिला स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण)

दूरभाष—07774220679, e-mail: zp-surguja.cg@nic.in

॥ विज्ञापन ॥

क्रमांक/ ३१२७/एस.बी.एम/जि०पं०/२०१७ अधिकारपुर,

दिनांक ०७/ ११/२०१७

मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रायपुर का पत्र क्र. ९७८/मि.श./रा.स्व.भा.मि./पं.ग्रा.वि.वि./२०१६, रायपुर दिनांक १४.०८.२०१७ के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला स्वच्छ भारत मिशन, (ग्रामीण)—सरगुजा अन्तर्गत जिला समन्वयक के १ पद पर संविदा भर्ती किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों जो सरगुजा संभाग के निवासी हों, से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक २०.११.२०१७ सायं ५ बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

१. पद का नाम:- १. जिला समन्वयक (संविदा)

(अनारक्षित)

२. शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामाजिक कार्य/सामाजिक विज्ञान/कला/मानव संसाधन/ग्रामीण प्रबंधन/सार्वजनिक स्वास्थ्य से स्नातकोत्तर।

३. अनिवार्य अनुभव:-

जिला समन्वयक

शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्य करने का ०३ वर्ष का अनुभव एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता/स्वास्थ्य के विषय पर कार्य करने का ०२ वर्ष का अनिवार्य अनुभव। (संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र एवं कम्प्युटर का ज्ञान अनिवार्य।) संबंधित क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता।

४. आयु सीमा:- ३१ अक्टूबर २०१७ की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम २१ वर्ष एवं अधिकतम ४५ वर्ष होगी।

जिला समन्वयक की भर्ती हेतु नियम, शर्ते एवं चयन प्रक्रिया -

1. प्राप्त आवेदनों की एकसमान व पारदर्शिता पूर्ण आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार छटनी, प्रारंभिक वयन सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का अमंत्रण एवं निराकरण, योग्य अंतिम चयनित आवेदकों के सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति आदेश का जारी किया जाना आदि प्रक्रिया जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा की जावेगी।
2. आवेदक, निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिशिष्ट-1) में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि को सांघकाल 05 बजे तक, बंद लिफाफे में, (पंजीकृत / स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला पंचायत-सरगुजा को प्राप्त हो जाने चाहिए।
3. विशेष क्षेत्र के तहत सरगुजा संभाग के स्थानीय उमीदवारों को उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिकता प्रदान किया जावेगा। सरगुजा संभाग से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार उमीदवार नहीं निलगे की स्थिति में ही अन्य संभाग के भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा।

4. जिला समन्वयक हेतु चयन प्रक्रिया में भेरिट निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी :-

- चयन प्रक्रिया स्थानीय आवेदकों को प्रारंभिकता प्रदान करते हुए दस्तावेजी योग्यताओं, समूह चर्चा, एवं साक्षात्कार आधारित औंकलन द्वारा अंक का निर्धारण किया जावेगा।
- दस्तावेजी योग्यताओं यथा शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता तथा अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्राणित प्रमाण पत्रों के आधार पर औंकलन/अंक निर्धारण की पद्धति -
- 5. शैक्षणिक योग्यता :-**

- | | |
|---|------------------|
| 10वीं- हाई स्कूल में प्राप्त प्राप्तांक का | — 20 प्रतिशत अंक |
| 12वीं- हायर सेकेन्डरी में प्राप्त प्राप्तांक का | — 20 प्रतिशत अंक |
| स्नातक –स्नातक द्वारा अंक का | — 30 प्रतिशत अंक |
| स्नातकोत्तर –स्नातकोत्तर (केवल संबंधित क्षेत्र में) स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक का | — 30 प्रतिशत अंक |

यदि किसी अन्यथियों द्वारा एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर अथवा अन्य लिंगियों प्रस्तुत की जाती हैं तो संबंधित विषय में अधिकतम अंक वाली डिग्री/अंकसूची में प्राप्तांकों को मूल्यांकन के लिए शामिल किया जाएगा।

10. **अनुभव :-** प्रथम 50 स्थान पर आये हुये अन्यथियों के आवेदनों में उल्लेखित अनुभव का मूल्यांकन छटनी समिति द्वारा अनुभव के 100 अंकों पर किये गये मूल्यांकन का 50 प्रतिशत के योग के आधार पर वरीयता क्रम की गणना की जावेगी। अन्यथियों को आगामी चरण के लिये पात्रता हेतु 50 अंक कटऑफ होगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर दिये गये अंक के आधार पर तैयार वरीयता क्रम सिर्फ आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हैं। आवेदनों में उल्लेखित विषय विशेष, अनुभवों का मूल्यांकन/छटनी समिति के द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर दिये गये अंक के आधार पर तैयार वरीयता क्रम का मूल्यांकन करते हुए, पद के विकल्प प्रथम 10 उमीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा।

प्राप्तांकिक अनुभव	05 वर्ष	05–07 वर्ष	07–10 वर्ष	10–13 वर्ष	13 वर्ष से अधिक
जिला समन्वयक	60	70	80	90	100

11. समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंक निधारण जिला स्तर पर 4 सदस्यीय बयन समिति/पैनल का गठन कर किया जावेगा। जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं डिप्टी कलेक्टर/अपर कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय शाखा व विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
12. समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के अंतर्गत अस्थाई का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छाक्षित के आंकलन पर विशेष ध्यान रखते हुए किया जायेगा। अस्थाईयों को समूह चर्चा में 40 अंक एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में 60 अंक दिये जाएंगे। जो निम्नानुसार बिन्दुओं पर आधारित होंगे—
- अ. समूह चर्चा— मिशन अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों/कार्यों को क्रियान्वयित करने की क्षमता, ग्रामीण समूहों को विषय के प्रति सहजता प्रदान करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, समस्याओं का समाधान कर कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सामूदायिक संगठन को सम्बोधित करने की क्षमता।
- ब. साक्षात्कार— कार्य क्षेत्र में पकड़, प्लानीग, नियमानुसार विकास कार्य करने की क्षमता, प्रारंभिक अनुभव सह गणवेत्ता एवं स्थायीत्व को लेकर कार्य करने की क्षमता, सकारात्मक व्याहार और व्यक्तिगत विकास कार्य में सक्षम।
13. पद के विरुद्ध भेरिट क्रम से 10 उम्मीदवारों को समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। विषयवस्तु के संबंध में आवेदकों को पृथक से अवगत कराया जावेगा।
14. भर्ती प्रक्रिया से संबंधीत नियम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार की विषयवस्तु सह अंक निर्धारण के विस्तृत जानकारी www.surguja.nic.in में देखा जा सकता है।
15. पद की पूर्ति करने/रिक्त रखने/नया सूचित करने (बढ़ाने)/समाप्त करने (घटाने) अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रखा गया है।
16. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। यदि कोई भूतलक्षी प्रभाव से आदेश/निर्देश जारी होते हैं तो उसका अनुपालन भी किया जावेगा।
17. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिशिष्ट-1) में ही आवेदन स्वीकार योग्य होंगे। त्रुटिपूर्ण प्रारूप में अथवा निर्धारित प्रारूप में अपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वभैय निरस्त किये जाने योग्य होंगे, तत्सम्बन्ध में आवेदक कोई सूचना नहीं दी जावेगी। बयन के किसी भी स्तर पर या सेवा के दोरान भी आवेदन की अर्हता संबंधी कोई अयोग्यता ज्ञात होती है, तो चयन/नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार नियोक्ता अर्थात जिला स्वच्छ भारत निशन (ग्रामीण) के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि आवेदक पर बंधनकारी होगा।
18. स्वच्छता/स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र के तारतम्य में आवेदकों को यह स्पष्ट हो कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र, स्वच्छता/स्वास्थ्य के क्षेत्र के विरिच्छ अधिकारीयों यथा कार्यपालन अधिकारी/सुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिला पंचायत या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। गेर शासकीय संस्था के अधीन किए गए सेवा/कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र उस शासकीय विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य किया जावेगा, जिस शासकीय विभाग के कार्य क्षेत्र में गेर शासकीय संस्था द्वारा कार्य किया गया है। प्रमाण पत्रों के बैधता एवं अनुभव की मान्यता के संबंध में जिला स्वच्छ भारत निशन (ग्रामीण) द्वारा लिया गया निर्णय औरितम और बंधनकारी होगा।
19. आवेदकों को यह अवगत कराया जाता है कि राज्य के किसी विशेष क्षेत्र/जिलों में यथा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में विज्ञापन में उल्लेखित किसी पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कमस्यूटर कौशल तथा अनुभव वाले योग्य आवेदक नहीं निलित हैं, तो उस क्षेत्र/जिले विशेष के लिए आवश्यक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में राज्य स्तर से शिथिलता की अनुमति प्राप्त कर, तदानुसार प्राप्त शिथिलता के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से ही भेरिट तैयार करते हुए यन किये जाने का विशेषाधिकार जिला स्वच्छ भारत निशन (ग्रामीण) के पास सुरक्षित रहेगा।
20. यह नियुक्ति 12 माह की अवधि हेतु अनुबंध पर सविदा पर होगी, कार्य संतोषप्रद होने पर व आवश्यकता होने पर आगामी 12 माह हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
21. जिला समन्वयक को माह में न्यूनतम 15 दिन का भ्रमण अनिवार्य होगा। जिला समन्वयक को जिले से बाहर की यात्रा हेतु वास्तविक बस/रेल का किराया एन.आर.एल.एम. के मापदण्ड अनुरूप देय होगा।
22. ये पद शासकीय नहीं हैं, पूर्णतः अस्थायी व संविदा आधारित है तथा आधारित है तथा आवश्यकता से नहीं है।

23. वर्ष के दोपांन 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश व 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता संविदा नियमानुसार होगी।

24. जिला समन्वयक द्वारा सेवा वर्ष में किये गये कार्य / सेवाओं का गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप (मूल्यांकन प्रपत्र) में जिले के सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (श्रामीण) द्वारा लिखा जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा इन्द्राज किये गये कार्य मूल्यांकन के आधार पर जिला स्वच्छ भारत मिशन (श्रामीण) द्वारा आवेदकों के संविदा अवधि के विस्तार / नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

25. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाजि पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधी तक सेवा दी गई है उस अवधी के लिए किसी भी प्रकार के पेशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

26. संविदा पदों की नियुक्त छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होगे।

उपरोक्तानुसार दस्तावेजी यथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा कम्प्यूटर योग्यता आदि के प्रस्तुत अभिप्राणित प्रमाण पत्रों के अंक निर्धारण उपरांत बनायी गयी, मेरिट सूची के आधार पर जिला स्वच्छ भारत मिशन (श्रामीण) द्वारा उम्मीद्वार की चयन सूची तेजार की जावेगी। चयन सूची का प्रकाशन, चयन सूची के निर्माण के आधार पर अंकों के वितरण सहित कार्यालयिन सूचना पटल / वेबसाइट पर किया जाएगा, चयन सूची के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त दावा आपत्ति के नियमानुसार निराकरण के उपरान्त निराकृत अन्तिम चयन सूची का कार्यालय सूचना पटल / वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (श्रामीण)
(Mr. S. R. Gajjala)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला-सरगुजा (छ.ग.)
पिन नं० - 497001

स्व. प्रमाणित
पासपोर्ट आकार
का फोटो चस्पा
करें।

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 1. | आवेदित पद का नाम | — |
| 2. | जिला | — |
| 3. | आवेदक, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले का स्थायी निवासी है— जिला
(समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) | |
| 4. | आवेदक का नाम :- (हिन्दी में) | — |
| | अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) | — |
| 5. | लिंग (महिला / पुरुष) | — |
| .6. | क्या आवेदक शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /
अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किलीलेयर) के सदस्य हैं, यदि हां तो —
(समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण
पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) | |
| 7. | पिता / पति का नाम | — |
| 8. | जन्म तिथि— अंक में —

शब्दों में — | — |
| | (जन्म तिथि के समर्थन में हाईस्कूल अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) | |
| 9. | दिनांक 31.10.2017 को आयु | वर्ष माह दिन |
| 10. | स्थायी पता — | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| 11. | वर्तमान डाक का पता — | — |
| | | — |
| | | — |
| | | मोबाइल नम्बर |
| | | ई-मेल आईडी |

12. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-

क्र.	शैक्षणिक अर्हता	डिग्री/डिप्लोमा सिर्टीफिकेट का नाम	बोर्ड/विश्वविद्या लय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
01	10 वीं						
02	12 वीं						
03	स्नातक						
04	स्नातकोत्तर						
05	कम्प्यूटर योग्यता						
06	अन्य						
07	अन्य						
08	अन्य						

13. अन्य गैर भौक्षणिक (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-
 (जैसे – एनसीसी, एनएसएस, राष्ट्रपति / राज्यपाल गाईड आदि में सहभागिता)

14. अन्य गैर शैक्षणिक (पाठ्येत्तर गतिविधि सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-
 (जैसे राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलकूद , सांस्कृतिक कार्यक्रम , समाज सेवा कार्य आदि में सहभागिता)

15. शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव वर्षों में (भर्ती हेतु नियम, शर्त एवं चयन प्रक्रिया के शर्त क्रमांक 18 में उल्लेखानुसार जारी/प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) –

क्र.	नियोक्ता का नाम, पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय/देतन	संपादित कार्यों/दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

16. उपरोक्त अनुभव में से स्वच्छता/स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य का अनुभव वर्षों में (भर्ती हेतु नियम, शर्ते क्रमांक 18 में उल्लेखानुसार जारी/प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) –

17. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? – हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) –

18. क्या अभ्यार्थियों के विरुद्ध कोई दाण्डक प्रकरण किसी पुलिस थाना / न्यायालय में लंबित हैं न्यायालय में निराकृत हो चुका हैं ? (यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।) अपराधिक प्रकरण क्रमांक / वर्ष
पुलिस थाना जिला
अधिनियम एवं धारा
प्रकरण की वर्तमान स्थिति -
.....

19. संलग्नको की सूची – 1. 2.
 3. 4.
 5. 6.
 7. 8.

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम
पिता का नाम

स्थान
दिनांक

/// घोषणा-पत्र //

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, जो कि कभी भी यदि असत्य पाए जाते हैं तो भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे और मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, नियुक्ति/सेवा के किसी भी स्तर पर नियोक्ता का निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम
दिनांक
स्थान

नोट :- आवेदक प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम में दायी ओर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।